FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

मोहनलाल बनाम गजानन्द वगै0 जीसीएमएस नं.

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 652 सन् 2022

	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज GCMS-2022/183	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
...022	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से **श्री रोशन लाल अग्रवाल** एडवोकेट हाजिर। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थी ने अनुरोध किया कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए एवं प्रार्थी के हितो को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि **अप्रार्थीगण को जबाब पेश किये जाने तक उभय पक्षकारान को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2359, 2363, 2444 किता 3 रकबा 1.13 हैक्ट. अवस्थित ग्राम पीथमपुरी पटवार हल्का पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना के विशिष्टि भू–भाग का बेचान नही करें एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।** **उक्त अन्तरिम टी.आई आदेश सीमाज्ञान /पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने, विधुत कनेक्शन देने सम्बंधी विधिक प्रकिया की पालना में लागू नही होगी।** प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी/प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन /वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 15.12.2022 को पेश हो। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

Scanned with OKEN Scanner

15/2/23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/2/23 को पेश हो।

20/4/23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5/4/23 को पेश हो।

5/4/23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. I.P.O सा. दौरे पर हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24/4/23 को पेश हो। अप्रार्थी नं. 1 श्री उमेद सिंह श्री हरीश उज्ज्वल व श्री श्रवण कुमार शर्मा एडवो. उपस्थित आये।

24/4 पत्रावली पेश हुई। मंत्रालयिक कर्मचारी सामुहिक अवकाश पर होने के कारण पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 16/6/23 नियत की जाती हैं।

16/6/23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित I.P.O. साहब दौरे पर हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14/8/23 को पेश हो।

14/8/23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित P.O साहब दौरा कार्य में व्यस्त है. पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 13/9/23 को पेश हो।

13/9/23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10/10/23 को पेश हो।

10/10/23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.। P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्वआदेशानुसार दिनांक 6/11/23 को पेश हो।

6/11/23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.। P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्वआदेशानुसार दिनांक 16/1/24 को पेश हो।

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

11/3/24 पत्रावली पेश हुई। [illegible]
PO साहब [illegible] कोर्ट में [illegible] हैं
पत्रावली [illegible] आदेशानुसार दिनांक 27/3/24
को पेश हो।

5/3/24 पत्रावली प्रार्थी व वकील प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र मिसल तलबी व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विड्रा किये जाने का पेश होने पर तलब होकर पेश हुई। प्रार्थी व वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी व वकील प्रार्थी प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं ना ही आगे चलाना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विड्रा की अनुमति के साथ खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज होकर दफ्तर दाखिल हो।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

[illegible]